

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2026 को सरवां (मोछू मोड) के पास से मु0अ0सं0- 279/2026 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त संजय मौर्या पुत्र जगदीश मौर्या निवासी बरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. संजय मौर्या पुत्र जगदीश मौर्या निवासी बरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 279/2026 धारा 69 बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1. दिनांक 18.08.2026
2. स्थान - सरवां (मोछू मोड) के पास

दहेज हत्या में वांछित 02 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेशदत्त मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2026 को ग्राम सिकडीकोल से मु0अ0सं0- 147/2026 धारा- 115(2), 352, 85, 80(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. संजय कुमार पुत्र रामसरीख प्रसाद निवासी सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ, 2. कौशल्या देवी पत्नी रामसरीख प्रसाद निवासी सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. संजय कुमार पुत्र रामसरीख प्रसाद निवासी सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. कौशल्या देवी पत्नी रामसरीख प्रसाद निवासी सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 147/2026 धारा- 115(2), 352, 85, 80(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1. दिनांक 18.08.2026
2. स्थान - ग्राम सिकडीकोल

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 18.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 32 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1280 संदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 379 वाहनो को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहनो की सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें ।

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अवैध मादक पदार्थ बेचने वाला 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 6,500 /- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत मु0अ0सं0 88/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना हलधरपुर जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 17.08.2026 को मा0 न्यायालय स्पे.(जे) एससी/एसटी कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद, अभियुक्त शैलेश यादव उर्फ मुलायम पुत्र कन्हैया यादव निवासी सराय भारती थाना रसड़ा जनपद बलिया को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 6,500 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

#ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अपहरण व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 07 वर्ष की सजा व 15,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत मु0अ0सं0 340/2018 धारा 363, 366 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ की

साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 18.08.2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश एसजे/पाक्सो प्रथम कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा अपहरण व पाक्सो एक्ट के अपराध से सम्बन्धित दोषी अभियुक्त पन्नेलाल चौहान पुत्र स्व0 विजाधर चौहान निवासी विक्कमपुर थाना घोसी जनपद मऊ को 07 वर्ष की कारावास व 15,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।